न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/3023/2005/जयपुर

1. राधामोहन पुत्र मूल्या दत्तक पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गवार ब्राहमणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. मूल्या पुत्र धन्ना जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गवार ब्राहमणान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. छोटू पुत्र धन्ना – मृतक (जरिये कायममुकाम)
   1/1. गजानन्द पुत्र छोटू जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं. 25, सीताराम कालोनी, सांगानेर गौशाला के सामने, सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   1/2. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि राधेश्याम पुत्र छोटू जाति ब्राहमण निवासी टाटा नगर, गली नम्बर–3, शास्त्रीनगर – जयपुर।
   1/3. श्रीमती सूज्या उर्फ सूरजदेवी पत्नि छोटू जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं. 25, सीताराम कालोनी, सांगानेर गौशाला के सामने, सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....**रेस्पोर्डेंट्स**

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री नरेश कुमार जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री डी0डी0पारीक, अधिवक्ता, रेस्पोर्डेंट्स

निर्णय

दिनांकः– 22–04–2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–3–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 12–12–1995 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–3–2005 से स्वीकार करते हुए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 17 बाबत तहसीलदार सांगानेर का निर्णय दिनांक 12–12–1995 को अपास्त कर दिया। सम्भागीय आयुक्त जयुपर के उक्त निर्णय दिनांक 21–3–2005 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न करने के उपरान्त भी मियाद के बिन्दु को निर्धारित नहीं करने के बजाय अपील को गुणावगुण पर निस्तारित कर दी। यहीं नहीं मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के समर्थन में कारित विलम्ब बाबत कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया। उनका आगे कहना है कि आलोच्य नामान्तरकरण कार्यवाही का सम्पूर्ण ज्ञान छोटया को था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपनी पत्नि की बीमारी बाबत कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। आगे बताया कि आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त होने के बाद सक्षम व्यक्तियों के नाम इन्द्राजात बाबत मामले को प्रतिप्रेषित नहीं कर अपीलीय न्यायालय ने गलती की है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–3–2005 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण संख्या 17 स्वीकृति दिनांक 12–12–1995 को यथावत रखने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2006 (2) आरआरटी 1092, 2009 एआईआर एससी 1927, 2015

(1) आरआरटी 265 व 1089, 1997 आरआरडी 301, 2008 (2) आरआरटी 936 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

5. इसके विपरीत रेस्पोर्डेंट्स के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत की गई बहस का विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कथन है कि छोटू व मूल्या मृतक खातेदार हनुमान के सगे भाई है एवं जायज वारिस व विधिक उत्तराधिकारी है। जबकि अपीलार्थी का मृतक की आराजी से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी मृतक खातेदार के जायज वारिस नहीं है न ही उत्तराधिकार व दत्तक पुत्र नहीं है। उनका तर्क है कि केवल मात्र पंच फैसला के आधार पर आलोच्य नामान्तरकरण तस्दीक किया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2009 (10) एससी 273, 2007 (2) आरआरटी 920, 1996 आरआरडी 521 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

6. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का गम्भीरता से अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रश्नगत द्वितीय अपील कतिपय आधारों पर प्रस्तुत की गई है, जिनका सीधे ही विवेचन किया जाना हम उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलान्ट का आक्षेप है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न करने के उपरान्त भी मियाद के बिन्दु को निर्धारित नहीं करने के बजाय अपील को गुणावगुण पर निस्तारित कर दी। यहीं नहीं मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के समर्थन में कारित विलम्ब बाबत कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया। इसके अतिरिक्त आलोच्य नामान्तरकरण कार्यवाही का सम्पूर्ण ज्ञान छोटया को था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी पत्नि की बीमारी बाबत कोई चिकित्सीय

प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। न्याय का सिद्धान्त है कि किसी प्रकरण में यदि गुणावगुण का बिन्दु सशक्त हो तो ऐसे प्रकरण में देरी को क्षमा करते हुए निर्णय पारित करना श्रेष्ठकर है। प्रस्तुत मामले में अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद से बाधित अपील प्रस्तुतीकरण बाबत अपील मीमो के पैरा संख्या 5 व 6 में जो स्पष्टीकरण अंकित किए है, हमने उनका अध्ययन किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. यह भी अवलोकनीय है कि अपीलार्थी ने मृतक खातेदार के दत्तक पुत्र होने बाबत किसी प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है तथा केवल मात्र पंच फैसला के आधार पर राधामोहन को मृतक खातेदार की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी मानकर आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। जो कि विधायिका की भावना के विपरीत है। प्रथम अपील में भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई तथ्य एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए है। द्वितीय अपील के स्तर पर इस सम्बन्ध में कथन मात्र किया गया है, परन्तु ऐसा कोई दत्तक पुत्र बाबत विश्वसनीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथ्य के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, अतः अपील मीमो में इस सम्बन्ध में किए गए कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

9. मामले में सम्पादित आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकृति उपलब्ध विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने के कारण अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय से संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध शास्ति आरोपित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने बाबत जिला कलक्टर जयपुर को निर्णय की प्रति भेजते हुए लिखा है। सारांशतः प्रकरण में सम्पादित आलोच्य नामान्तरकरण दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की श्रेणी में होने के कारण इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो के तथ्य इस मामले से मेल नहीं खाने के कारण उनसे उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत विधिक विनिश्चय प्रकरण की पृष्ठभूमि के समान होने के कारण मान्य है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत द्वितीय अपील में कोई सारभूत विधिक आधार उपलब्ध नहीं है एवं तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, जो अहस्तक्षेपनीय है। फलस्वरूप अपील सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

11. परिणामतः द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य